No. Admin-01/2016-17/595/NMCG
Ministry of Water Resources, River Development
& Ganga Rejuvenation
National Mission for Clean Ganga
****

1st Floor,
Major Dhyan Chand National Stadium,
India Gate, New Delhi-110002
Dated: 6th March, 2017

Subject :- Minutes of the 1st Meeting of the Empowered Task Force on River Ganga held on 8th February, 2017.

A copy of the Minutes of the 1st Meeting of the Empowered Task Force on River Ganga held on 8th February, 2017 at 03.30 PM under the Chairmanship of Hon'ble Minister for Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation is forwarded herewith for kind information/ necessary action.

6.3.17

(Rajiv Kishore)
Executive Director (Admin.)
Contact No : 011-23049440

To

(i) PS to Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
(ii) PS to Minister of State for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
(iii) Secretary, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation
(iv) Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance
(v) Chief Executive Officer, Niti Aayog
(vi) Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand
(vii) Chief Secretary, Govt. of Uttar-Pradesh
(viii) Chief Secretary, Govt. of Bihar
(ix) Chief Secretary, Govt. of Jharkhand
(x) Chief Secretary, Govt. of West Bengal
(xi) Secretary, Ministry of Agriculture
(xii) Secretary, Ministry of Environment, Forests & Climate Change
(xiii) Secretary, Ministry of Drinking Water & Sanitation
(xiv) Secretary, Ministry of Urban Development
(xv) Secretary, Ministry of Tourism
(xvi) Secretary, Ministry of Culture
(xvii) Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh

Copy to :-

PPS to Secretary (WR, RD & GR)/ PS to Director General, NMCG, PS to DDG, NMCG/ PS to ED (A), NMCG, PS to ED (F), NMCG, PS to ED (P), NMCG, PS to ED (T), NMCG

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
(जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय)

विषय- गंगा नदी पर 8/2/2017 को हुए प्रथम इम्पावर्ड टास्क फोर्स मीटिंग की कार्यवृत्त।

मीटिंग की शुरुआत माननीय मंत्री महोदया को पुष्पदान कर की गई। डीजी एनएमसीजी ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने प्रजेंटेशन की शुरुआत से पहले निम्नलिखित मुख्य बातों का उल्लेख किया-

1. उन्होंने अथारिटी के नये स्वरूप की चर्चा की जिसके तहत अथारिटी में उच्च अधिकारियों (संयुक्त सचिव स्तर) की नियुक्ति हुई है, तथा अथारिटी को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है।
2. उन्होंने सभा को बतलाया कि माननीय मंत्री महोदया के अनुमोदन से इम्पावर्ड टास्क फोर्स (ईटीएफ) में सात अन्य सदस्यों को मनोनीत किया है, जिसका रैटीफिकेशन (Ratification) इस बैठक में होना है। सभा द्वारा इसे Ratify किया गया।
3. मंत्री महोदया ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों का सभा में उपस्थित न होने की बात उठाई और कहा कि झारखंड को गंगा की सफाई के लिए मॉडल स्टेट मनोनीत किया है और उन्हें इस सभा में आना अति आवश्यक था। उन्होंने डीजी एनएमसीजी से कहा कि वे पता करें की झारखंड के प्रतिनिधि सभा में क्यों उपस्थित नहीं हुए।
4. डीजी ने सभा को बतलाया कि 11 राज्यों के मुख्य सचिवों को DO पत्र द्वारा स्टेट गंगा कमेटी के गठन के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। केवल उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश से ही समति के गठन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मंत्री महोदया जी ने बतलाया की बिहार गंगा सफाई के कार्य में अग्रणी राज्य है, और उनका कार्य भी सराहनीय है। अतः उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वे समिति का गठन तुरंत करेंगे। बिहार से आए प्रतिनिधि ने

सभा को बतलाया कि गंगा विशेषज्ञ के चयन का मामला विचाराधीन है इसके बारे में जल्द ही सूचित किया जाएगा।

5. एक छोटी प्रस्तुति के द्वारा डीजी एनएमसीजी ने मई, 2014 से लेकर आज तक की उपलब्धियों और महत्वपूर्ण आयोजनों का उल्लेख सभा के सामने किया। उसके पश्चात मंत्री महोदया की अनुमति से एजेंडे को प्रस्तुत किया गया।

6. माननीय मंत्री महोदया ने कहा कि गंगा और यमुना में पानी कम होने के कारण प्रदूषण होता है, तथा 70 प्रतिशत प्रदूषण सीवेज के पानी के कारण होता है। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने राम गंगा और काली नदी पर कोई ध्यान नहीं दिया है। हम काली और राम गंगा नदी को भी साफ-सुथरा बनाएंगे। हमें पुराने और नये कार्यों को अलग करके काम करने की जरूरत है।

7. मंत्री महोदया ने बतलाया कि Environment Protect Act 1986 के सेक्शन पांच के तहत पॉल्यूशन फैलाने वाली इंडस्ट्री को नोटिस देने का अधिकार एनएमसीजी को भी प्रदान किया गया है और मंत्री जी ने जानना चाहा कि एनएमसीजी और सीपीसीबी के बीच में इस कार्य का निष्पादन कौन करेगा। सीपीसीबी के पदाअधिकारियों का कहना था कि यह कार्य एनएमसीजी के द्वारा किया जाए जबकि डीजी एनएमसीजी ने कहा कि राज्यों में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान लागू करने का जिम्मा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। अतः यह कार्य एनएमसीजी और सीपीसीबी द्वारा मिलकर करना होगा।

8. मंत्री महोदया ने कहा कि अथारिटी बनने के बाद हमें तेजी से काम करने की जरुरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि इम्पावर्ड टास्क फोर्स की एक सचिव स्तर की सब-कमेटी नियुक्ति की जाए जिसमें जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव शामिल हों। यह समिति विभागीय

मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करेगा एवं एनएमसीजी का मार्गदर्शन भी करेगा।

9. घाट के आधुनिकीकरण के मुद्दे पर मंत्री महोदया ने जानना चाहा कि राज्यों द्वारा एनओसी क्यों लंबित है? उत्तराखंड से आए प्रतिनिधि ने कहा कि कई मामलों में वन के अंतर्गत आने वाले जमीन के हस्तानांतरण का मामला होता है, जिसके कारण एनओसी जारी करने में देरी हो रही है। मंत्री महोदया ने कहा कि यह एक विशेष समस्या है और इसके बारे में विचार-विमर्श कर इसको दूर किया जाए।
10. उत्तर प्रदेश से आए प्रतिनिधि ने बतलाया कि उनके राज्य से General NOC जारी कर दी गई है।
11. डीजी एनएमसीजी ने चर्चा में बताया की यह देखना आवश्यक है कि क्या वन जमीन पर घाट बनाना आवश्यक है? CAMPA के अंतर्गत वृक्षारोपण के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
12. गंगा ग्राम के अंतर्गत गांव के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य होना है, खासकर पूर्ण स्वच्छता की दिशा में। मनरेगा एवं अन्य ऐसे कार्यक्रमों से इसे जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
13. गांवों में बहुत सारे नाले गंगा नदी में गिर रहे हैं। भविष्य में यह समस्या और बढेगी इसलिए इसका मैनेजमेंट हमें अभी से करना पड़ेगा। इसे दूर करने के लिए हम सीचेवाल मॉडल अपना सकते हैं।
14. मंत्री महोदया ने कहा कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बहुत विचार-विमर्श कर इसे लागू किया गया है। उन्होंने बतलाया कि प्रधानमंत्री ने कार्यों की प्रगति को बढ़ाने के लिए हर सम्भव प्रयास किए हैं। अगर हाइब्रिड मॉडल में किसी तरह की अड़चन है तो माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति के सामने प्रस्तुत कर समस्या को दूर किया जा सकता है।
15. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के सचिव ने सुझाव दिया है कि हाइब्रिड एक्विटी मॉडल एवं ईपीसी मॉडल के बीच समन्वय बनाना आवश्यक है ताकि

कार्य की प्रगति में कमी न आए। सचिव जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने भी इस बात पर सहमति जताई।

16. वित्त मंत्रालय से आए प्रतिनिधि ने चिंता जाहिर की कि खर्च की दर संतोषजनक नही है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

17. मंत्री महोदया ने कहा कि इम्पावर्ड टास्क फोर्स की बैठक नियमित रूप से होगी और तीन महीने में कम से कम एक बैठक की जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया कि अगली बैठक मार्च के बाद आयोजित की जाए। जो बात इस बैठक में छूट गई है हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे।

18. सभा के अंत में डी.जी. एनएमसीजी ने मंत्री महोदया एवं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों एवं अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापन किया।

— x —